यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालयए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **पौड़ी** के 04/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.12.2018 से 14.12.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री टी एस नेगी एवं श्री राम सनेही**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनाँक 20/11/2006 से 25/11/2006 तक सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह 12/2006 से 03/2013 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **पौड़ी**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्तहैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	11.36	11.21	348.28	348.05		0.38
2016-17	-	-	17.60	14.89	468.02	412.55		58.18
2017-18	-	-	15.10	15.07	480.93	478.48		2.48
2018-19 (11/ 2018 तक)	-	-	14.20	9.93	554.38	330.36		

(ब)Autonomous Bodies विगत तीन वर्षो में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स)केन्द्रपुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गतप्राप्तनिधि एवं व्यय विवरणनिम्नवत् हैः-शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई “सी“ श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिला कमांडेंट
वैतनिक निरीक्षक
प्रशासनिक अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **पौड़ी** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **पौड़ी** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/16, 05/17, 05/18 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।
(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

..............................शून्य................................

भाग-II 'ब'

प्रस्तर:1- निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी का लंबित रहना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 के अनुसार "Disposal of Goods: (i) An item may be declared surplus or obsolete or unserviceable if the same is of no use to the Ministry or Department. The reasons for declaring the item surplus or obsolete or unserviceable should be recorded by the authority competent to purchase the item. (ii) The competent authority may, at his discretion, constitute a committee at appropriate level to declare item(s) as surplus or obsolete or unserviceable." तथा नियम 197 में निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal के संबंध में वर्णन है कि " Modes of disposal : (i) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above Rupees Two Lakh should be disposed of by : (a) obtaining bids through advertised tender or (b) public auction, and (ii) For surplus or obsolete or unserviceable goods with residual value less than Rupees Two Lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space, and, also deterioration in value of goods to be disposed of. "

कार्यालय की निष्प्रयोज्य वस्तुओं से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि स्टोर में 21 सामग्रियाँ जिनका मूल्य ₹ 72696 था, निष्प्रयोज्य अवस्था में थे, जिनकी नीलामी लंबित थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>Part-II (B)</u>

<u>Para:2</u>- Non-collection of service tax/GST by the department of RS 8.32 lakh.

Clarifications issued by the Service Tax Department in September 2011 provide that though the burden of Service Tax rests on the service recipient, the law requires the service provider to collect the tax from the service recipient on the services provided and deposit the same in the Government Account. Further, Para 7.2 and 7.3 envisaged that irrespective of whether the service provider receives the Service Tax from his client (service recipient) or not, he is legally bound to pay the due Service Tax in respect of the services rendered by him. However, the tax liability will be to the full extent on the total amount to be received by the service provider.

Audit Scrutiny revealed that Department did not levy Service Tax in respect of duty allowances of volunteers in Home Guards, engaged in Food Corporation of India from 2013-14 to 2018-19 amounting to ₹ 52.05 lacs.

However, during the inspection of HQs at Dehradun, it was observed that whenever department hired home guards from UPNL (UttarakahndPurvaSainik Kalyan Nigam Ltd.), UPNL charged service tax @15% prior to implementation of GST and 18% GST (9% CGST + 9% SGST)wef to 1.7.2017. The department outsourced home guards to various semi-govt. offices /PSUs and charged wages ₹ 52.05 lacs but didn't realise service tax and GST of Rs. 8.32 lakh as detailed below.

Service Tax

Year	Total payment made by FCI	Service tax @15%
2013-14	726598	108990
2014-15	792495	118876
2015-16	944336	141650
2016-17	1034417	155162
Total	**3497846**	**524676**

GST

Year	Total payment made by FCI	GST @ 18%
2017-18	1052055	189370
2018-19	655509	117992
Total	**1707564**	**307362**

Thus, the department didn't realise service tax/GST of ₹ 832038 (₹ 524676+₹ 307362= ₹ 832038).

On this being pointed out, the department replied that there is no instruction in this regard from HQs.

The reply is not acceptable since it was the duty of the office to levy service tax/GST upon the service receiving department and deposit it into the Govt account.

Therefore, the matter is being brought into the notice of higher authorities.

STAN

प्रस्तर:1- कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर अधिकांश स्वीकृत पदों का रिक्त रहना।

कार्यालय के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्तियों की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

1. **वैतनिक कर्मी**

क्र.सं .	पदनाम	स्वीकृत संख्या	उपलब्धता	रिक्त
1	जिला कमांडेंट	01	-	01
2	वैतनिक प्लाटून कमांडर	02	-	02
3	वरिष्ठ सहायक	01	-	01
4	कनिष्ठ सहायक	01	-	01
5	वाहन चालक	01	-	01
6	चतुर्थ श्रेणी	02	-	02

2. **होमगार्ड्स**

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	उपलब्धता	रिक्त
1	होमगार्ड्स स्वयं सेवक	576	378	198

3. **होमगार्ड्स अवैतनिक अधिकारी**

क्र.सं .	पदनाम	स्वीकृत संख्या	उपलब्धता	रिक्त
1	प्लाटून कमांडर	18	09	09

होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की स्वीकृत नियतन के सापेक्ष उपलब्धता न होने के कारण, होमगार्ड्स को विभिन्न कार्यों हेतु तैनाती जैसे प्रतिष्ठानों में, संस्थानों में, शांति व्यवस्था हेतु, मेले एवं अन्य आयोजनों हेतु, चुनाव ड्यूटि हेतु, अन्य विविध कार्यों हेतु प्रभावित हो रही थी।

इसी प्रकार अवैतनिक प्लाटून कमांडर का प्रमुख कार्य अपने नीचे काम कर रहे होमगार्ड्स का प्रबंधन एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। इन पदों में रिक्तता के कारण होमगार्ड्स का प्रबंधन एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण प्रभावित हो रहा था।

इसके अतिरिक्त कार्यालय स्टाफ में विभिन्न पदों जैसे जिला कमांडेंट, वैतनिक प्लाटून कमांडर, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी में रिक्तता के कारण कार्यालय का कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रभावित हो रहा था। नियतन कर्मचारियों के अभाव में मौजूदा कर्मचारियों को ही अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा था, जिस कारण उन

पर अत्यधिक कार्यभार पड़ रहा था, जो कार्यालय की कार्यक्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था।
उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि रिक्तियों को भरने संबंधी कार्य मुख्यालय स्तर पर लंबित है।
अतः विभागीय शिथिलता के कारण रिक्तियों को न भरे जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोतमकार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय**, **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री राहुल सचान	जिला कमांडेंट	08/12/2011	08/03/2013
2.	श्री गौतम कुमार	जिला कमांडेंट	08/03/2013	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियनितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मलित कर एक प्रति कार्यालय **जिला कमांडेंट**, **होमगार्ड्स**, **पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र